न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 9/2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री अश्विनी कुमार विजय पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय, निवासीः– नई मण्डी रोड, दौसा। एफबीओ मैसर्सः– सचिन प्रोविजन स्टोर, नई मण्डी रोड, दौसा।

– अभियुक्त–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप0।
: अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 17.5.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 3.10.2017 को सायंकाल 04:15 बजे मैसर्सः– सचिन प्रोविजन स्टोर, नई मण्डी रोड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अश्विनी कुमार विजय पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में एक खुले मुंह के पीपे में करीबन 5 किग्रा लाल मिर्च पाउडर (लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमे से एक लोहे के पलटे से हिलामिलाकर नमूने की जांच हेतु 2 किग्रा लाल मिर्च पाउडर (लूज) खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक थैली में तौलकर दिया जिसकी कीमत 300 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा लाल मिर्च पाउडर (लूज) को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर डिब्बों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1744 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार-चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 4.10.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 4.10.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 5.10.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2160/एक्ट/2017/2232 दिनांक 25.10.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध) विनियम, 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित हुआ एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी श्री अश्विनी कुमार विजय पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत नही कर बहस की गई। बहस के दौरान अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया लाल मिर्च पाउडर के नमूने में कोई मिलावट या खराबी नही पायी गयी है। प्रार्थी द्वारा मात्र 5 किग्रा कम तीखी मिर्च पिसवाकर पीपे में विक्रय हेतु रखी गई थी। प्रार्थी द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जायेगी। अतः प्रकरण को ड्रोप फरमाने की कृपा करे।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2160/एक्ट/2017/2232 दिनांक 25.10.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (V) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 9/2018 एफ एस एस एक्ट

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी (अभियुक्त) श्री अश्विनी कुमार विजय पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय किया जाने से नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 के उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) का दोषी है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी (अभियुक्त) श्री अश्विनी कुमार विजय पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय निवासीः– नई मण्डी रोड, दौसा एफबीओ मैसर्सः– सचिन प्रोविजन स्टोर, नई मण्डी रोड, दौसा पर 10000/–(अक्षरे दस हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 17.5.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/9294-96

दिनांकः– 17.5.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अश्विनी कुमार विजय पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय निवासीः– नई मण्डी रोड, दौसा एफबीओ मैसर्सः– सचिन प्रोविजन स्टोर, नई मण्डी रोड, दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official